दिनांक 28.03.2017 एवं 29.03.2017 को प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत संचालित सर्वेक्षण कार्य से संबंधित आयोजित कार्यशाला की कार्यवाही।

उपस्थिति :– संधारित।

प्रधान सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित बिन्दु पर निदेश दिया गया।

(1) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत सर्वेक्षण कार्य दो भागो में किया जाना है :–

(क) हवाई फोटोग्राफी से स्थल सत्यापन तक:– जिसके तहत संबंधित एजेसी के द्वारा मानचित्र निर्माण के पूर्व :–

(i) और्थो फोटो का जमीनी सत्यापन

(ii) तीन सीमाना एवं मुस्तकील कायम करना तथा नये मानचित्र पर दर्शाना

(iii) यूनिक एवं कॉमन ग्राम सीमा रेखा का निर्धारण

(ख) खानापूरी से लेकर प्रपत्र–20 में अंतिम प्रकाशन तक :– उक्त कार्य संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा निश्चित समय सीमा के अन्दर किया जाना है।

(2) विभिन्न बन्दोबस्त कार्यलय में कार्यरत उजरभोगी अमीनों की सूची प्राप्त कर, तुलनात्मक मिलान किया जाय, एवं वैसे अमीन जो एक समय में एक से अधिक बन्दोबस्त कार्यालयों में कार्यरत है, उनके विरूद्व संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाय।

(3) उजरत भोगी अमीनों को निदेशालय स्तर से एक यूनिक आई0डी0 नम्बर दी जाय एवं उसकी सूची संबंधित सभी बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाय।

(4) विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारियों के अद्यतन स्थिति से संबंधित सूचि तैयार की जाय।

उक्त निदेश के आलोक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति लिखित में उपलब्ध करा दिया गया।

(5) अमीनों द्वारा सर्वेक्षण से संबधित किये जा रहे दैनिक/मासिक कार्यो का ऑनलाईन समीक्षा हेतु Application Software तैयार किया जाय एवं नियमित रूप से समीक्षा कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय।

(6) अमीनों के साप्ताहिक/मासिक कार्य प्रतिवेदन (ऑनलाईन समीक्षा) के आधार पर संबंधित कानूनगों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा की जाय।

(7) संबधित शिविर पदाधिकारी प्रत्येक अमीन को सप्ताहिक लक्ष्य देगें (जो कि 35 खेसरा प्रतिदिन से कम नही होना चाहिए) एवं उसकी समीक्षा करेगें।

(8) सर्वप्रथम वैसे जिलों का सर्वेक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया जिन जिलों का पुनरीक्षित सर्वे नही किया गया है।

(9) अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वर्त्तमान रोड मैप को पुर्नगठित करते हुए बन्दोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से निश्चित समय–सीमा के अन्दर मुख्यालय में उपस्थित कराया जाय, जिसके आलोक में संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित तिथि को रोड मैप उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

क्र0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	पुर्नगठित रोड मैप उपलब्ध कराने की तिथि
1	नालन्दा	09.04.2017
2	शेखपुरा	07.04.2017
3	लखीसराय	10.04.2017
4	खगड़िया	07.04.2017
5	बेगुसराय	11.04.2017
6	सहरसा	03.04.2017
7	मधेपुरा	07.04.2017
8	सुपौल	10.04.2017

(10) उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि :–

(i) खानापुरी के दौरान रैयतों द्वारा लगान रसीद के आधार पर खाता खोलने का अनुरोध किया जाता है, उक्त राजस्व ग्रामों का खतियान न तो रैयतो के पास है न ही सरकार के पास है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाय।

(ii) प्रपत्र–5 अर्थात तेरिज के आभाव में प्रपत्र–18 एवं प्रपत्र–19 का डाटा अंकित करना मुश्किल है, कई राजस्व ग्रामों का तेरिज उपलब्ध नही है।

(6) अमीनों के साप्ताहिक / मासिक कार्य प्रतिवेदन (ऑनलाईन समीक्षा) के आधार पर संबंधित कानूनगों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा की जाय।

(7) संबंधित शिविर पदाधिकारी प्रत्येक अमीन को सप्ताहिक लक्ष्य देगें (जो कि 35 खेसरा प्रतिदिन से कम नही होना चाहिए) एवं उसकी समीक्षा करेगें।

(8) सर्वप्रथम वैसे जिलों का सर्वेक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया जिन जिलों का पुनरीक्षित सर्वे नही किया गया है।

(9) अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वर्त्तमान रोड मैप को पुर्नगठित करते हुए बन्दोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से निश्चित समय–सीमा के अन्दर मुख्यालय में उपस्थित कराया जाय, जिसके आलोक में संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित तिथि को रोड मैप उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

क्र0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	पुर्नगठित रोड मैप उपलब्ध कराने की तिथि
1	नालन्दा	09.04.2017
2	शेखपुरा	07.04.2017
3	लखीसराय	10.04.2017
4	खगडिया	07.04.2017
5	बेगुसराय	11.04.2017
6	सहरसा	03.04.2017
7	मधेपुरा	07.04.2017
8	सुपौल	10.04.2017

(10) उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि :–

(i) खानापुरी के दौरान रैयतों द्वारा लगान रसीद के आधार पर खाता खोलने का अनुरोध किया जाता है, उक्त राजस्व ग्रामों का खतियान न तो रैयतो के पास है न ही सरकार के पास है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाय।

(ii) प्रपत्र–5 अर्थात तेरिज के आभाव में प्रपत्र–18 एवं प्रपत्र–19 का डाटा अंकित करना मुश्किल है, कई राजस्व ग्रामों का तेरिज उपलब्ध नही है।

(iii) जॉच के दौरान पाया जाता है कि सरकारी भूमि का खाता रैयतो के नाम पर बिना किसी बैध अभिलेख के आधार पर खोल दिया गया है।

(iv) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि खानापुरी के दौरान अमीन द्वारा कई तरह के कार्य किये जाते है जैसे :–

– गैरहाजरी दर्ज करना
– चौहदी नोट करना
– याद्दाश्त नोट करना
– याद्दाश्त पास कराना
– खेसरा पंजी तैयार करना
– खेसरा विक्त करना

जिसके कारण 35 खेसरो का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है।

(11) एजेंसी के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में कैडस्ट्रल मानचित्र के सीमा रेखा के आधार पर नये मानचित्र का निर्माण किया जाता है जिससे गैप एवं ओभरलैप की समस्या उत्पन्न हो रही है, एजेंसी को वर्त्तमान में सरजमीन के अनुसार सीमा रेखा के निर्धारण की अनुमति प्राप्त नही है।

(12) विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालय के जॉच शाखा के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 में वर्णित प्रावधानो के आलोक में कार्य किया जाय, एवं जॉच शाखा में लंबित राजस्व ग्रामों के अभिलेखों में वर्णित त्रुटियों के संबंध में संबंधित शिविरों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को एक चेक लिस्ट उपलब्ध कराया जाय, ताकि उनके द्वारा शीघ्र समस्याओं का निराकरण किया जा सकें।

(13) बन्दोबस्त कार्यालय नालन्दा के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय को निदेशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों का प्रपत्र–12 प्रकाशित किया जा चुका है, उन राजस्व ग्रामों का प्राथमिकता के आधार पर अंतिम प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय।

(14) प्रपत्र–12 प्रकाशित राजस्व ग्रामों के संबंध में उपस्थित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि 05 एकड़ से कम रकवा वाले राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन 30 अप्रैल 2017 05 एकड़ से 20 एकड़ रकवा वाले राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन 31 मई 2017 एवं 20 एकड़ से 50 एकड़ तक वाले राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन 30 जून 2017 तक प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित किया जाय।

(15) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय बेगूसराय द्वारा 50 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन जून 2017 तक कराने की सहमति व्यक्त की गई।

(16) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय लखीसराय द्वारा 07 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन जून 2017 तक कराने की सहमति व्यक्त की गई।

(17) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय खगड़िया द्वारा 05 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन जून 2017 तक कराने की सहमति व्यक्त की गई।

ह0/–

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक –17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति समीक्षा –318/2016–683...पटना दिनांक 18/5/2017

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, नालन्दा, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/17

निदेशक